संख्या– 554 /XV-2/2022/01(03)/2019(TC)

प्रेषक,

डॉ0 बी0वी0आर0सी0 पुरूषोतम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड,
मंगल पड़ाव, हल्द्वानी, नैनीताल (उत्तराखण्ड)।

पशुपालन अनुभाग–02 देहरादून : दिनांक 05 दिसम्बर, 2022

विषयः–साईलेज एवं दुधारू पशुपोषण योजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–702/नियोजन–साईलेज एवं दुधारू पशुपोषण यो0 पत्रा0/2022–23, दिनांक 22 अक्टूबर, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा साईलेज एवं दुधारू पशुपोषण योजना के संबंध में संशोधन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2– अतः साईलेज एवं दुधारू पशुपोषण योजना के संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या–418/XV-2/01(03)/2019, दिनांक 24 सितम्बर, 2019 में संशोधन हेतु सम्यक् विचारोपरान्त लिए गये निर्णय के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पशुचारा हेतु संचालित समस्त योजनाओं की द्वैधता (Duplicacy) को रोकने एवं योजनाओं का लाभ समुचित रूप से लाभार्थियों को उपलब्ध कराये जाने तथा योजनाओं की भौतिक प्रगति का अनुश्रवण उचित प्रकार से किये जाने हेतु सहकारिता एवं पशुपालन विभाग के अन्तर्गत पशुचारा हेतु की जा रही मांग के सापेक्ष अनुदान की धनराशि के आहरण हेतु डेरी विकास विभाग को नोडल विभाग नामित किया जाता है, जिसके संबंध में दिशा–निर्देश निम्नवत् है :–

(1) शासनादेश दिनांक 24 सितम्बर, 2019 द्वारा उक्त योजना में मुख्यतः 03 अवयव कमशः वैक्यूम पैक्ड साईलेज, मिनरल मिक्चर तथा प्रोबाइटिक्स को योजनान्तर्गत उनके मूल्य के 50 प्रतिशत अनुदान पर दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े दुग्ध उत्पादक सदस्यों को उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त 03 अवयवों के अतिरिक्त कॉम्पैक्ट फीड ब्लॉक को भी अतिरिक्त अवयव के रूप में उक्त योजनान्तर्गत सम्मिलित करते हुए दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े दुग्ध उत्पादक सदस्यों को 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) डेरी विकास विभाग द्वारा दुग्ध सहकारी समिति सदस्यों को साईलेज 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया जाता है। उक्त योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये जाने वाले साईलेज पर अनुदान की धनराशि को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत किया जाता है।

(3) वर्तमान में मैदानी जनपदों के दुग्ध सहकारी समिति सदस्यों को संतुलित पशुआहार हेतु रू0 2.00 प्रति कि0ग्रा0 तथा पर्वतीय क्षेत्रों के लिए रू0 4.00 प्रति कि0ग्रा0 की दर से अनुदान दिया जाता है। उक्त अनुदान को बढ़ाकर मैदानी क्षेत्रों हेतु रू0 4.00 प्रति कि0ग्रा0 तथा पर्वतीय क्षेत्रों में रू0 6.00 प्रति कि0ग्रा0 किया जाता

है।

(4) डेरी विकास विभाग द्वारा सहकारिता एवं पशुपालन विभाग से बजट की मांग का प्रस्ताव प्राप्त कर संबंधित कार्य हेतु कुल बजट की मांग को अनुदान मद के अन्तर्गत मांगानुसार वित्त विभाग को प्रस्तुत की जायेगी।

(5) सन्दर्भित योजना अन्तर्गत प्राप्त धनराशि का आहरण कर डेरी विकास विभाग द्वारा सहकारिता एवं पशुपालन विभाग को उनकी मांगानुसार अनुदान राशि उपलब्ध करायी जायेगी, जिसका उपयोग सहकारिता तथा पशुपालन विभाग द्वारा स्वयं या उनकी कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से किया जायेगा।

(6) सहकारिता एवं पशुपालन विभाग को उक्तानुसार प्राप्त धनराशि के नियमानुसार समुचित उपयोग का सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित विभागों का होगा।

(7) सहकारिता एवं पशुपालन विभाग द्वारा डेरी विकास विभाग के माध्यम से प्राप्त धनराशि का उपयोग करते हुए, वित्तीय व भौतिक प्रगति सहित उपयोगिता प्रमाण–पत्र वित्त विभाग/डेरी विकास विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) आगामी वित्तीय वर्ष से सहकारिता विभाग की "मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना" अनुदान संख्या 18, बजटीय लेखा शीर्षक 2425–00–800–34– 00–50 अनुदान) के अन्तर्गत बजट का प्राविधान नही किया जायेगा।

(9) वित्तीय वर्ष 2023–24 में डेरी विकास विभाग उत्तराखण्ड द्वारा संचालित "साईलेज एवं दुधारू पशुपोषण योजना" के वर्तमान बजटीय लेखा शीर्षक 2404–00–102–15–00 मानक मद–56 (सामान्य गैर वेतन) को विस्तारित करते हुए, योजनान्तर्गत विभिन्न अवयवों पर प्रदान की जाने वाली अनुदान धनराशि के बजटीय प्राविधान किये जाने हेतु समग्र रूप से डेरी विकास विभाग द्वारा बजटीय प्राविधान किये जाने हेतु वित्त विभाग को मांग प्रस्तुत की जायेगी।

(10) योजना के प्रभावी कियान्वयन हेतु सघन अनुश्रवण की व्यवस्था की जाय तथा योजना का समय–समय पर कार्य मूल्याकंन (Performance Assessment) किया जायेगा।

(11) योजना में बजट आवंटन के लिए नोडल विभाग द्वारा व्यय धनराशि का प्रभावी रूप से अनुश्रवण किया जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–1/79878/2022, दिनांक 30.11.2022 द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Signed by Basava Venkata Rama Chandra Purushottam
(बी०वी०आर०सी०पुरुषोत्तम)
Date: 01-12-2022 19:24:44

संख्या– 554/XV-2/01(03)/2019(TC), तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार कार्यालय, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, वित्त/नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, सहकारिता, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन।

Generated from eOffice by RAM SINGH RANA, SO-RSR, SECTION OFI...

6. निदेशक, पशुपालन, उत्तराखण्ड।
7. प्रबन्ध निदेशक, सहकारिता, उत्तराखण्ड।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल) उत्तराखण्ड।
9. निजी सचिव, मा0 मंत्री, दुग्ध को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. वित्त–4 / सहकारिता / पशुपालन अनुभाग।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अम्बिका वशिष्ठ)
अनु सचिव।